संख्या- 6/2021/बी-3-दस-2021-100(4)/2002 ब.मै.

प्रेषक,

एस.राधा चौहान,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त विभाग।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 मई, 2021

विषयः-आय-व्ययक में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2/2021/बी-3-138/दस-2021-100(4)/ 2002ब.मै.,दिनांक 10.03.2021 द्वारा आय-व्ययक में विभिन्न अनुदानों में प्रावधानित एकमुश्त व्यवस्था से वित्तीय वर्ष के दौरान कराये जाने वाले कार्यो की वार्षिक कार्य योजना के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों द्वारा अन्तिमीकरण (Finalisation) के सम्बन्ध में दिशा निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह स्पष्ट करने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 10.03.2021 की व्यवस्थानुसार अनुमोदित करायी गयी कार्ययोजना में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग यदि किसी प्रकार का संशोधन कार्य हित में अपरिहार्य समझते हैं, तो तत्सम्बन्धी कारण सहित औचित्य स्पष्ट करते हुये सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करेंगे।

भवदीया,

एस.राधा चौहान
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-6/2021/बी-3-दस-2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- वित्त विभाग के समस्त अधिकारी/समस्त अनुभाग।
3- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in